राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालूराम खौड आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या. 276/2015
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 21.08.2015

निर्णय दिनांक: 06.06.2018

अनवान

1– श्री रतनलाल पिता हरिराम जाति बलाई निवासी हाल मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द स्थाई निवासी सालेरा तहसील सहाडा जिला भिलवाडा

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री अम्बालाल पिता टेका जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2– श्री रोडीलाल उर्फ रोडू पिता टेका जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
3– श्री उदा पिता रामा जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4– श्रीमती सोहनी बेवा रामा जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
5– श्री हजारी पिता नारायण जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
6– श्री शंकर पिता तलोक जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
7– श्री गोपू पिता तलोक जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
8– श्री नाथू पिता तलोक जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
9– श्री भगा पिता चेना जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
10– श्री श्यामलाल पिता चेना जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
11– श्री प्रभु पिता चेना जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
12– श्री केषु पिता चेना जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
13– श्री नन्दा पिता चेना जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द
15– श्रीमती घीसी पिता हरिराम जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
16– श्रीमती ज्ञानी पिता हरिराम जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
17– श्रीमती नाथी पिता हरिराम जाति बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

d

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 229(2) व आदेश 47 रूल 1 व 114 जा.दी.

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री समुन्द्र सिंह चुण्डावत

अधिवक्ता अप्रार्थीगण :– शराफत हुसैन

:: निर्णय ::

प्रार्थी रतनलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) व आदेश 47 रूल 1 व 114 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की विपक्षी संख्या 1 से 5 ने वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुरडा पटवार हल्का मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 55 व आराजी नम्बर 1552 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नम्बर 1553 रकबा 0.3300 हैक्टर, आराजी नम्बर 1554 रकबा 0.5000 हैक्टर कुल किता 03 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि स्व. किशना पिता मियाराम बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट के नाम राजस्व भूमि में दर्ज हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि स्व. किशना पिता मियाराम ने स्व. कालु पिता गुमाना बलाई निवासी मुरडा को संवंत् 2009 में विक्रय कर दी। स्व. किशना पिता मियाराम बलाई ने दिनांक 24.09.1952 को रूपये 1 एक रूपये के स्टाम्प पर अपनी वृद्धावस्था होने से तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से एवं संतान नहीं होने की वजह से कोई सेवा चाकरी करने वाला नहीं है स्व. हरिराम पिता सोला जाति बलाई गोत्र रेणवाल निवासी सारेला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा को स्टाम्प पर दिनांक 21.09.1952 को लिखकर दिया की वहीं सेवा चाकरी करता है सेवा के एवज में 4 बीघा जमीन जो किशना के खाते है वह किशना जी के मरने के बाद हरिराम की रहेगी लिख कर दे दिया था जिस पर किशना के अगुस्त निशान हैं। लिखापढ़ी दिनांक 21.09.1952 को करने के पश्चात् स्व. किशना ने एवं हरिराम ने रूप्यो की आवश्यकता होने से विपक्षी संख्या 1 से 5 के दादाजी स्व. कालु पिता गुमाना को वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि 40/– रूपये में विक्रय कर दी। स्व. कालु पिता गुमाना के चार लड़के हुए जिनका वर्णन सजरे में किया हुआ है। जो भेरा, टेका नारायण व तलोक हुए। वादग्रस्त भूमि पर संवंत् 2009 से ही विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं उनके पूर्वाधिकारी का उपयोग उपभोग आधिपत्य चला आ रहा हैं। तथा भूमि पर कब्जा भी मुखालफाना होकर परिपक्व हो चुका हैं।

अतः निवेदन है कि पुनर्रावलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 06.07.2015 को जारी किये आदेश निरस्त किये जाये तथा प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाकर कानूनी तरीके से मामले का निस्तारण किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की और से विविध प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यह निवेदन किया की प्रार्थी इस मामले में रिव्यू कराने का कोई लोकस् स्टेण्डाई नहीं रखता हैं। जबकि प्रार्थी ने स्वयं को श्री किशना जी का वारीस बताया है जिसके प्रमाण में सक्षम सिविल न्यायालय का कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रार्थी को किशनाजी का वारीस नहीं माना जा सकता है। इसके पश्चात् कोई वजुहात रखता भी है

तो उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए न की उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र के [illegible] से कोई तीसरा पक्षकार निर्णय की पालना नहीं रूकवा सकता है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त फरमाया जावें। एवं डिक्री की पालना कराई जावें।

पत्रावली लोक अदालत केम्प झौर में प्रस्तुत हुई प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कथन किया की न्यायालय द्वारा पूर्व डिक्री पारीत दिनांक 06.07.2015 की पालना कराई जावें एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आदेश 47 रूल 1 व 114 निरस्त किया जावें। प्रार्थी को उक्त डिक्री से सन्तुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में रिविज़न प्रस्तुत करना चाहिए। इस रिव्यू प्रार्थना पत्र से डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र अपास्त किया जाकर डिक्री की पालना फरमाई जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी ने बिना कोई आधार के रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि मूल पत्रावली में स्व. किशना द्वारा हरिराम के पक्ष में वसीयत इकरार लिखा हुआ है जिससे अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है। जिससे प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई बल (FORCE) नहीं होने से निरस्त किया जाना साबित है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) व आदेश 47 रूल 1 व 114 जा.दी. का कोई बल (FORCE) नहीं होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कमी हो ।

(कालूराम खौड)
पीठासीन अधिकारी
लो[illegible]
उपखण्ड [illegible]
जि[illegible]
आमेट

[illegible] दिनांक 06.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र केम्प झौर में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
लो[illegible]
उपखण्ड [illegible]
जि[illegible]
आमेट